कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म०प्र०शासन,
अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा
हिन्दी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल:-

प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 ॥ ॥ के अंतर्गत

बाबा साहब अम्बेडकर महाविद्यालय, भोपाल ।

प्राचार्य,

पत्र क्रमांक - दिनांक 24.7.97[illegible] द्वारा इस विभाग को अधिनियम 1973 की धारा 26 ॥ ॥ के अंतर्गत **महाविद्यालय** में **1999-2000** से उक्त अशासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त कक्षाएं प्रारंभ किए जाने के लिए आवेदन- पत्र प्रेषित किया है । **1999-2000**

1-बी.पी.टी. प्रथम 2.बी.ए.प्रथम में समाजशास्त्र, राजनीतिशा[illegible] अंग्रेजी सा., इतिहास आधार पाठ्यक्रम 3.बी.बी.ए.प्रथम एवं बी.ए. मेनेजमेंट । [illegible]बी.एस.सी.प्रथम में बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर साइंस पर्यावरण [illegible] रसायन[illegible] गणित, वनस्पतिशा[illegible] माइक्रोबायोलॉजी, प्राणीशा[illegible] आधार पाठ्यक्रम [illegible] [illegible]लिब.साईंस प्रथम (6-बी.कॉम.प्रथम सभी अनिवार्य विषयसह बी.कॉम.प्रथम में कम्प्यूटर [illegible] [illegible] ।

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक **[illegible].7.99** पर [illegible] करने के उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि वि.वि. की विद्रत परिषद के [प्रावधा]न 26 ॥ ॥ ॥5॥ वि.वि. अधिनियम 1973 के अंतर्गत पृथक कार्य परिषद [वि].वि. अधिनियम के प्रावधान 24 ॥XII॥ के अंतर्गत एक वर्ष के लिए अस्थाई [अनुम]ति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय **प्रगति शिक्षा समिति, भोपाल ।** [विद्य]ालय / समिति को प्रदान करता है, जिससे कि यह वि. वि. अधिनियम [ध]ारा -26 ॥ ॥5॥ के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन [illegible] शर्तें निम्नानुसार हैं:

[illegible]-99 [सत्र] से प्रवेश प्रारंभ करने के **पूर्व** शैक्षणिक स्टाफ की पूरी व्यवस्था हो।

[प्र]योगशाला की संपूर्ण सुविधाएं प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व पूर्ण की जायें जिससे सत्र [प्र]ारंभ होने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

[सं]स्था वित्तीय संसाधनों की जानकारी इस कार्यालय को । माह में उपलब्ध [क]रायें तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करायें [आगामी] तीन वर्षों के अनुमानित बजट प्रस्ताव की जानकारी दें ।

संस्था में प्राचार्य की नियुक्ति होना आवश्यक है.
यह अनुमति प्रमाण पत्र अस्थायी है, संस्था द्वारा समस्त पूर्तियाँ की जाने पर इस कार्यालय को सूचित किया जाये ताकि अस्थाई अनुमति प्रमाण-पत्र पर विचार कर स्थायी करने का निर्णय लिया जाये.

महाविद्यालय शासन से भविष्य में कोई अनुदान की मांग नहीं करेगा.
महाविद्यालय को नो प्रोफिट नो लास के आधार पर चलाया जायेगा.
प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा.
गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र- छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए. चाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है.

शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा.
बी. एस. सी. कम्प्यूटर साइंस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विषयों के लिए तथा पी०जी०डी०सी०ए० के लिए प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकें आदि की विस्तृत जानकारी तक उपलब्ध करायें.

O.K.

अतिरिक्त संचालक।
वास्ते, आयुक्त, उच्चशिक्षा, म.प्र. भो.

क्रमांक 3825 भोपाल, दिनांक:- 6-8-99

प्रतिलिपि:-

1. ////// अध्यक्ष प्रगति शिक्षा समिति द्वारा संचालित प्रगति [illegible] बी.एच.ई.एल. भोपाल।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

2. कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल। को सूचनार्थ एवं धारा- 24(x।।) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु.

3. सचिव, म०प्र० शासन, उच्चशिक्षा विभाग को उनके पत्र क्रमांक- [redacted]
[redacted] दिनांक के संदर्भ में सूचनार्थ.

टिप्पणी: यह प्रमाण-पत्र किसी संस्था को विषय प्रारंभ करने/ नई कक्षाएँ आरंभ करने के लिए अधिकृत नहीं करता, जब तक विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-24 (x।।) के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान नहीं करता.

O.K.

SN Sharma 6/8/99

अतिरिक्त संचालक।